45

152

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म०प्र०

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपए

विखंडित / विखंडित

C.F. 20/-

10
18.11.13

R - 4295 - III/13

रामविशाले पिता मुर्ल्ई साकेत ग्रामगदसा, तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली म०प्र० ---------- आवेदक/ निगरानीकर्ता

वनाम

सूर्यनाथ शर्मा पिता रामदेव शर्मा साकिन गदसा, तहसील सिंगरौली जिला सिंगरौली म०प्र० ---------- अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता

श्री .... एड द्वारा आज दिनांक 18.11.13 के प्रस्तुत किया गया

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् राजस्व निरीक्षक महोदय सिंगरौली मण्डल बुटार तह० एवम जिला सिंगरौली के (म०प्र०) के प्रकरण क्रमांक 33/अ-12/2012-13 आदेश दिनांक 12-7-2013

निगरानी अन्तर्गत धारा50 म०प्र० भूराजस्व संहिता सन 1959ई०

मान्यवर,

निगराकार की ओरसे निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत है:-

1- यहकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रक्रिया, अभिलेख एवम तथ्यों के विरुद्ध होनेसे निरस्त किये जाने योग्य है।

2- यहकि अधीनस्थ न्यायालयने विना मौके पर गये ही तथा विना सरहदी काश्तकारों को पक्षकार वनाये व वगैर सूचना दिये ही सीमांकन की कथित कार्यवाही किया है।

3- यहकि विवादित भूमि नं०286,व 493, 494, 501 को पूर्व

-2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग.4295-III / 2013 जिला–सिंगरौली

रामविशाले / सूर्यनाथ शर्मा

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रजनीश मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल खुटार, तहसील सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 33 / अ–12 / 2012–13 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	